(7)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

R-1883-I/2011

त्रि–स्तरीय जिला महिला मंडल देवास
(पंजीकृत संस्था) द्वारा अध्यक्ष इन्दूमती तुरकणे,
निवासी – 19, भगतसिंह मार्ग, देवास

...प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. राज्य शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला देवास, कलेक्टर कार्यालय देवास

... प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

अधिनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 59 / अपील / 2005–2006 मे दिनांक 28 / 03 / 2006 को पारित आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपनी निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नांकित आधारों पर सादर प्रस्तुत करतै है।

निगरानी के आधार :–

(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1883–एक/2011 जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–09–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री एच0के0अग्रवाल पेनल लॉयर उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग के प्रकरण कमांक 59/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 28–03–2006 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3– अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में विधिसंगत एवं उचित कार्यवाही की है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार आवेदक द्वारा इस निगरानी में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह निगरानी बलहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	